


कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नज़ारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगढ़ में स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैण्ड एवं फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान को वित्तीय वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक) के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु दिनांक 14.02.2022 दिन सोमवार, समय दोपहर 01:30 बजे नियत है।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.allahabadhighcourt.in>, एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://hathras.nic.in> एवं केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।


दिनांक: 29.01.2022


29.01.2022

(त्रिलोक पाल सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-01, हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित


जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।
31-1-22

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।**

इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगड में स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैण्ड एवं फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान को वित्तीय वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक) के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेके की नीलामी हेतु दिनांक 14.02.2022 दिन सोमवार, समय दोपहर 01:30 बजे जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :-

01. यह ठेका दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जायेगी।
03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रु० 20,000/- (बीस हजार) की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25-25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई-2022 तथा 01 अक्टूबर-2022) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
06. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे-सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
09. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रुपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
10. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।
11. कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

(त्रिलोक पाल सिंह)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-01, हाथरस।

01.02.2022

कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :-

01. यह टेका दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जायेगी।
03. टेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रू० 20,000 /- (बीस हजार) की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम टेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. जिस व्यक्ति के हक में टेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25-25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई-2022 तथा 01 अक्टूबर-2022) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में टेका छोड़ा जायेगा।
06. टेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. किसी भी टेकेदार को टेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे-सम्बन्धी या किसी अन्य को टेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. टेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
09. प्रत्येक टेकेदार को जिसके नाम टेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अप्ण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रुपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
10. प्रत्येक टेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।
11. कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

१५/०१/२०२२
(त्रिलोक पाल सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-01, हाथरस।